# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

**द्वितीय सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 6**

**बुधवार, 7 मार्च, 2018/16 फाल्गुन, 1939(शक्)**

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**

**समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।**

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 16,17 तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 19 से 24 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 18 व 25 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गये। तारांकित प्रश्न संख्या 26 से 31 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3 व 4 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**व्यवस्था का प्रश्न**

प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात् श्री हर्षवर्धन चौहन, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने आज नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस

दिया है जो विभिन्न विभागों में किये जा रहे तबादलों से संबंधित विषय पर है। सर्वप्रथम इस विषय पर चर्चा करवाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

" आत प्रातः 9 बजकर 40 मिनट पर माननीय श्री हर्षवर्धन जी द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना हमें प्राप्त हुई है जो कि माननीय श्री जगत सिंह नेगी व श्री नन्द लाल, माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है। माननीय सदस्यों ने वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में किये जा रहे तबादलों से संबंधित विषय पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो विषय किसी अन्य प्रक्रियागत माध्यम यथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, आधे घण्टे की चर्चा एवं अल्पकालीन चर्चा आदि से उठाया जा सकता है, उसे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन जी का प्रश्न इसी संबंध में हमारे पास आया है जो सरकार को प्रेषित है। ये चर्चा नियम-67 के अन्तर्गत अलाऊड नहीं है,आप किसी भी मद में चर्चा देंगे, हम अलाऊ करेंगे।"

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष द्वारा 12:12 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया गया।)

## 2. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः</u>

**श्री इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

## 3. <u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः</u>

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया किः-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

**प्रस्ताव स्वीकार।**

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज,शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया किः-

"That in pursuance of Statute 8 (i)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University Court in the notification subject to other provisions of the said Statutes."

**प्रस्ताव स्वीकार।**

**4. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त)वित्तीय वर्ष 2017-2018 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः-</u>**

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में

दर्शाई गई अतिरिक्त धन राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

**मांगे पूर्ण रूप से पारित हुईं।**

5. **विधायी कार्यः**

(I) **सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना**

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अनुमति दी गई।**

**माननीय मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित किया।

(II) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

**माननीय मुख्य मन्त्री** ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।

**सदन की बैठक अपराह्न 12.35 बजे वीरवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।**

---